उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या–129/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:181–181.32/2019 दिनांक: 28/जून/2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 31 मई 2019 को संपन्न 181वीं बैठक में एजेण्डा संख्या–181.32 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद रसायनज्ञ सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित) के विनियम–20(3) (प्रोन्नति हेतु अर्हता) के प्रभावी प्राविधानों (तालिका के स्तम्भ–1 में) को एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

वर्तमान विनियम–20(3) (विज्ञप्ति संख्या– 298–विनियम/राविप–23/91 दि0: 09.10.1991 के अनुसार)	प्रतिस्थापित विनियम–20(3)
द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति उन प्रयोगशाला सहायकों, जल मृदुकरण संयंत्र परिचरों तथा जल शोधन संयंत्र परिचरों में से होगी, जिन्होंने विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और पूर्ण योग में 50 प्रतिशत अंक तथा रसायनशास्त्र में 60 प्रतिशत अंक अर्जित किये हों अथवा रसायनशास्त्र विषय के साथ बी0एस0सी0 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिस वर्ष चयन समिति की बैठक हो उस वर्ष 1 जनवरी को परिषद के तापीय विद्युत गृहों की रसायनिक प्रयोगशाला में प्रोन्नति के वर्ष में कम से कम पाँच वर्ष का कार्य अनुभव नियमित पद पर हो।	**रसायनज्ञ ग्रेड–द्वितीय के पद पर पदोन्नति उन प्रयोगशाला सहायकों, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अटेण्डेन्ट व वाटर सॉफटिंग प्लान्ट अटेण्डेन्ट में से होगी, जिन्होंने रसायन शास्त्र विषय के साथ विज्ञान में इण्टरमीडिएट परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो अथवा रसायन शास्त्र विषय के साथ बी0एस0सी0 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा चयन वर्ष में प्रथम दिवस (1 जुलाई) को निगम के ताप विद्युत गृहों की रसायनिक प्रयोगशाला में कम से कम पाँच वर्ष का कार्य अनुभव नियमित पद पर हो।**
नोट: कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक तथा रसायन शास्त्र में 60 प्रतिशत अंक का प्रतिबन्ध उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो परिषद की सेवा में प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला सहायक/जल मृदुकरण सयंत्र	–विलोपित–

क्रमशः–2...

परिचरों/जल शोधन सयंत्र परिचरों के रूप में दिनांक 01.04.1977 के पूर्व कार्यरत हो किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को रसायनज्ञ श्रेणी–द्वितीय के पदों पर पदोन्नति हेतु अर्ह होने के लिये रसायनशास्त्र के साथ इण्टरमीडिएट (विज्ञान) की योग्यता आवश्यक होगी।	

2– उपरोक्त संशोधन/प्रतिस्थापन के फलस्वरूप संगत विनियमावली उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं उसके अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

3– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 129/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:181–181.32/2019 तद्दिनाँक । 25-6-19

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशाषी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 31.05.2019 को सम्पन्न 181वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–181.32 के संदर्भ में।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03)/उपसचिव (मा0सं0–02)/प्रशिक्षण इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

25/6/19

(तरूण कुमार जैन)
अधिशाषी अभियन्ता (रिफार्म)